

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार



रजि.न.34300/80 | संख्या 288 | श्री विजय पुरम, बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

माननीय उप राज्यपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से संबंधित विषयों पर की विस्तृत चर्चा

पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति की समीक्षा की





श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, डॉ. दिनेश शर्मा जी ने आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव श्री ज्ञानेश भारती, आयुक्त–सह–सचिव, सचिव (शिक्षा), सचिव (स्वास्थ्य) एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और परिवहन से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की भी समीक्षा की।

लोक निवास से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त, माननीय उप राज्यपाल ने आगामी 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से लोक निवास, श्री विजय पुरम में अण्डमान शिप ओनर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट कर द्वीपसमूह के शिपिंग सेक्टर से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

इस दौरान माननीय उप राज्यपाल को जहाज़रानी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं, जेटियों पर आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आगामी पर्यटन सीजन के दृष्टिगत यात्री सुविधाओं एवं समुद्री परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम, सुरक्षित एवं प्रभावी बनाने से संबंधित विषयों से अवगत कराया गया।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से आज लोक निवास, श्री विजय पुरम में दक्षिण अण्डमान ज़िले की विभिन्न ग्राम पंचायतों–श्याम नगर, गोविंद नगर, नील केंद्र, गुप्तापाड़ा, मीठाखाड़ी, सीपीघाट, टुसनाबाद, नमूनाघर, फरारगंज एवं छोलदारी के प्रधानों ने शिष्टाचार भेंट की और स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया।





अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा जी से लोक निवास, श्री विजय पुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के निदेशक योगेश चंद्र श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक श्री प्रभात कुमार सिंह व अन्य अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट कर एनएच–4 के कार्यों की प्रगति और आ रही चुनौतियों से अवगत कराया। माननीय उप राज्यपाल ने प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

पीएम–राहत योजनाः सड़क दुर्घटना पीड़ितों का 1.5 लाख रूपए तक नकदरहित उपचार

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने तथा उपचार में देरी अथवा तत्काल धनराशि की कमी के कारण होने वाली मृत्यु को रोकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार (पीएम–राहत) योजना शुरू की गई है। इस योजना को 13 फरवरी, 2026 को देशभर में लागू किया गया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथम घंटे, जिसे "गोल्डन आवर" कहा जाता है, के दौरान घायल व्यक्तियों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस योजना के अंतर्गत मोटर वाहन से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं के पात्र पीड़ितों को, दुर्घटना किसी भी श्रेणी की सड़क पर हुई हो, निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं शर्तों के अधीन प्रति पीड़ित अधिकतम सात दिनों की अवधि के लिए 1.5 लाख रूपए तक का नकदरहित उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धनराशि की कमी के कारण किसी दुर्घटना पीड़ित को आवश्यक चिकित्सा उपचार से वंचित न रहना पड़े।

सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ित, उसके परिजन, घटनास्थल पर उपस्थित

शेष पृष्ठ 4 पर

झींगा पालन एवं केज कल्चर पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का मत्स्य विभाग, उद्योग विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से, राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (रैम्प) कार्यक्रम के अंतर्गत 'झींगा पालन एवं केज कल्चर पर विशेष ज़ोर के साथ खारे–मीठे पानी में जलीय कृषि' विषय पर चार दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

प्रशिक्षण का पहला बैच 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे श्री विजय पुरम में शुरू होगा। इसमें 25 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें इच्छुक उद्यमी, बेरोज़गार युवा, मत्स्य पालक तथा इस क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारक शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन चेन्नई स्थित आईसीएआर–केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान (आईसीएआर–सीआईबीए) द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में पहले दो दिन कक्षा आधारित सत्र होंगे, जबकि अगले दो दिन व्यावहारिक प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय भ्रमण के लिए निर्धारित रहेंगे।

यह पहल अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आयुक्त–सह–सचिव सुश्री चंचल यादव, भा.प्र.से., के सहयोग एवं समग्र मार्गदर्शन में रैम्प कार्यक्रम के

शेष पृष्ठ 4 पर

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में पंचायत आम चुनाव–2027 के लिए महिला आरक्षित सीटों के निर्धारण हेतु लॉटरी निकाली गई

मायाबंदर, 27 अक्टूबर।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में आगामी पंचायत आम चुनाव–2027 के लिए महिलाओं हेतु आरक्षित की जाने वाली सीटों का निर्धारण करने के उद्देश्य से 27 अक्टूबर, 2026 को मायाबंदर स्थित ज़िला परिषद, उत्तर व मध्य अण्डमान के सम्मेलन कक्ष में लॉटरी का आयोजन किया गया।

इस प्रक्रिया का संचालन केंद्रशासित प्रदेश के माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री सुधांशु पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री एस. के. गुप्ता (सचिव),

शेष पृष्ठ 4 पर

'एनकॉल' में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर जागरूकता एवं संवेदीकरण सत्र संचालित

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग द्वारा आज अण्डमान कॉलेज (एनकॉल) परिसर में विद्यार्थियों के लिए अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएसएफ) के संबंध में जागरूकता एवं संवेदीकरण सत्र आयोजित किया गया।



इस सत्र में पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।

विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पशु चिकित्सा

शेष पृष्ठ 4 पर

पीएम–राहत योजनाः सड़क दुर्घटना पीड़ितों

——————————पृष्ठ 1 का शेष

व्यक्ति अथवा कोई भी नेक नागरिक आपातकालीन सहायता, एम्बुलेंस तथा निकटतम निर्धारित अस्पताल की जानकारी प्राप्त करने के लिए तत्काल 112 पर कॉल कर सकता है। घायल व्यक्ति को बिना विलंब निकटतम उपयुक्त चिकित्सा केंद्र पहुँचाया जाना चाहिए। निर्धारित अस्पताल में योजना के अंतर्गत आवश्यक औपचारिकताएँ निर्धारित डिजिटल प्रणाली के माध्यम से पूरी की जाती हैं तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा दुर्घटना के विवरण का सत्यापन किया जाता है। निर्धारित अस्पतालों के अतिरिक्त अन्य अस्पतालों द्वारा भी योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार घायल व्यक्ति को स्थिरीकरण उपचार उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, जिसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसे उपयुक्त निर्धारित अस्पताल में भेजा जा सकता है। लागू दिशा–निर्देशों एवं पुलिस सत्यापन संबंधी शर्तों के अधीन, जीवन के लिए खतरा न होने वाले मामलों में अधिकतम 24 घंटे तथा जीवन के लिए खतरे वाले मामलों में अधिकतम 48 घंटे तक स्थिरीकरण उपचार उपलब्ध कराया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अण्डमान और निकोबार प्रशासन से इस योजना में अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में प्राप्त पत्र/संचार के अनुसार, अब तक पीएम–राहत योजना के तहत निम्नलिखित अस्पतालों को शामिल किया गया हैः

1. जी.बी. पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम।
2. बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल, कार निकोबार।
3. डॉ. राजेंद्र प्रसाद अस्पताल, मायाबंदर।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), डिगलीपुर।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), रंगत।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), ननकौड़ी।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), बम्बूफ्लाट।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी अस्पतालों सहित और अधिक अस्पतालों को शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

परिवहन निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में आम जनता से अनुरोध किया गया है कि आपातकालीन सहायता तथा निकटतम निर्धारित अस्पताल की जानकारी प्राप्त करने के लिए 112 पर संपर्क करें। दुर्घटना की तत्काल सूचना देना तथा घायल व्यक्ति को शीघ्र उपयुक्त अस्पताल पहुँचाना उसके जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

परिवहन विभाग सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अपील करता है कि वे यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करें, सुरक्षित गति से वाहन चलाएँ, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग से बचें तथा शराब के नशे में वाहन न चलाएँ। आम नागरिकों से यह भी अनुरोध है कि दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें तथा पीएम–राहत योजना के संबंध में जन–जागरूकता फैलाएं।

झींगा पालन एवं केज कल्चर पर चार दिवसीय

——————————पृष्ठ 1 का शेष

तहत की जा रही है। इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को सुदृढ़ करना और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खारे–मीठे पानी में जलीय कृषि की अप्रयुक्त संभावनाओं का उपयोग करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में खारे–मीठे पानी में जलीय कृषि के विकास की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। इस क्षेत्र की क्षमता का प्रभावी उपयोग करने के लिए मत्स्य पालन, मछली प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष ज़ोर देने की आवश्यकता है।

इसी क्रम में उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के डिगलीपुर में 2 नवंबर से 4 नवंबर, 2026 तक इसी प्रकार का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इन पहलों के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन का लक्ष्य मत्स्य क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था को मजबूत करना तथा द्वीपसमूह में आजीविका सृजन और उद्यम विकास के नए अवसर उपलब्ध कराना है।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में पंचायत आम

——————————पृष्ठ 1 का शेष

उत्तर व मध्य अण्डमान के उपायुक्त श्री सुशांत पधा, भा.प्र.से., अपर ज़िला मजिस्ट्रेट श्री एस. कृष्ण चैतन्य, दानिक्स, तथा ज़िला प्रशासन के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं आम जनता के सदस्यों ने भी इस प्रक्रिया में भाग लिया।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के उपायुक्त से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पंचायतों की कुल 450 सीटों में से 157 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आगामी पंचायत आम चुनावों की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित इस लॉटरी प्रक्रिया का उद्देश्य महिला आरक्षित सीटों का निर्धारण करना तथा पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था। साथ ही, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं आम जनता को इस प्रक्रिया में उपस्थित रहकर भागीदारी



करने का अवसर प्रदान किया गया।

महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की अंतिम सूची केंद्रशासित प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

'एनकॉल' में अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर

——————————पृष्ठ 1 का शेष

अधिकारी ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारणों, संक्रमण के प्रसार, नैदानिक लक्षणों, रोकथाम, नियंत्रण तथा जैव–सुरक्षा उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर घरेलू एवं जंगली सूअरों में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक विषाणुजनित रोग है, जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। इस बीमारी के लिए वर्तमान में कोई टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है। इसलिए जैव–सुरक्षा के उपाय ही इससे बचाव का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं।

उन्होंने बताया कि यह बीमारी दूषित चारे, विशेषकर रसोई के बचे हुए भोजन एवं अपशिष्ट खाद्य पदार्थों को सूअरों को खिलाने, संक्रमित पोर्क (सूअर के मांस) एवं उससे बने उत्पादों तथा लोगों, वाहनों और उपकरणों की आवाजाही के माध्यम से फैल सकती है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि यह रोग मनुष्यों को संक्रमित नहीं करता और मानव स्वास्थ्य के लिए इसका कोई प्रत्यक्ष जोखिम नहीं है। उन्होंने सूअरों की आबादी, विशेषकर स्वदेशी निकोबारी एवं अण्डमान की स्थानीय सूअर नस्लों, तथा सूअर पालकों की आजीविका की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता और निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर सही जानकारी प्रसारित करने में विद्यार्थियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया और उनसे परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा पशुपालक समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे सूअरों को रसोई का कचरा या बचा हुआ भोजन न खिलाने, उचित जांच के बिना बाहर से सूअर के मांस एवं उससे बने उत्पादों को न लाने तथा सूअरों में किसी भी असामान्य बीमारी या मृत्यु की घटना की सूचना तत्काल निकटतम पशु चिकित्सा संस्थान को देने के लिए लोगों को प्रेरित करें।

खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य निदेशालय (डीएसवाईए) ने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के विभिन्न खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) में खेल प्रशिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह नियुक्ति पूरी तरह संविदात्मक आधार पर की जाएगी। चयनित प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति की अवधि 4 से 5 वर्ष तक होगी, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, यह अवधि भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया योजना को जारी रखने पर निर्भर करेगी।

इच्छुक एवं पात्र पूर्व चैंपियन खिलाड़ी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए विस्तृत अधिसूचना, पात्रता मानदंड तथा निर्धारित आवेदन पत्र खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट **https://sports.andamannicobar.gov.in** और राज्य पोर्टल **https://andamannicobar.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–A) में आवेदन पत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यताओं, खेल उपलब्धियों, अनुभव प्रमाण–पत्रों तथा अभ्यर्थी की पात्रता के समर्थन में आवश्यक अन्य दस्तावेज़ों की स्व–सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पूर्ण आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से खेल एवं युवा कार्य निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्री विजय पुरम–744101, डाक द्वारा उपर्युक्त निदेशालय के पते पर ई–मेल द्वारा **ankheloindia2026@gmail.com** माध्यमों से जमा किए जा सकते हैं। आवेदन 28 अक्टूबर से 9 नवंबर, 2026 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	खेलो इंडिया केन्द्र	पद	रिक्तियों की संख्या
1.	नेताजी स्टेडियम, श्री विजय पुरम	तीरंदाजी प्रशिक्षक	01
2.	विवेकानंद स्टेडियम, डिगलीपुर	एथलेटिक्स प्रशिक्षक	01
3.	बी.जे.आर. स्टेडियम, कार निकोबार	फुटबॉल प्रशिक्षक	01
4.	नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मायाबंदर	फुटबॉल प्रशिक्षक	01
5.	मिनी स्टेडियम, कैंपबेल बे	फुटबॉल प्रशिक्षक	01

टैगोर कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स के अतिथि संकाय हेतु मेरिट सूची जारी

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए श्री विजय पुरम स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई) में फाउंडेशन कोर्स विषय के अतिथि संकाय के पैनल में शामिल किए जाने हेतु मेरिट सूची जारी कर दी गई है। उक्त मेरिट सूची महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट **https://tgce.and.nic.in** पर अपलोड कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, सूची महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की गई है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी मेरिट सूची देखने के लिए महाविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं अथवा महाविद्यालय के सूचना पट्ट का अवलोकन कर सकते हैं।

जेएनआरएम के प्राध्यापक को कवक पर आईयूसीएन के वैश्विक विशेषज्ञ समूह में मिली नियुक्ति

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) के वनस्पति विज्ञान स्नातकोत्तर विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. दिपोन शर्मा को वर्ष 2026–2029 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के प्रजाति उत्तरजीविता आयोग में नियुक्त किया गया है। वे मशरूम, ब्रैकेट फंगस और पफबॉल विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ देंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाला आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची के संकलन और रखरखाव के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इसका प्रजाति उत्तरजीविता आयोग 186 देशों में फैले संरक्षण विशेषज्ञों का एक प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क है।

डॉ. शर्मा माइकोराइजल कवक के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में अमेरिका स्थित नॉर्दर्न एरिजोना विश्वविद्यालय में आयोजित माइकोराइजा पर आठवें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में



अपना शोध प्रस्तुत किया था। वे वर्ष 2011 से जेएनआरएम में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने **Science Advances, Global Change Biology** और **Scientific Data** जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वे प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित विषयों पर नियमित रूप से लेखन भी करते हैं।

जेएनआरएम की प्राचार्या डॉ. पर्ल देवदास सहित संस्थान के सभी प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों ने डॉ. शर्मा को इस महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि पर बधाई दी। यह उपलब्धि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए गर्व का विषय है।

बकुलतला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में युवा संवाद 28 अक्टूबर को

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत, रंगत द्वारा 28 अक्टूबर, 2026 को उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले के बकुलतला स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सुबह 10 बजे से युवा संवाद का आयोजन किया जाएगा।

देशभर के 500 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे राष्ट्रव्यापी 'विकसित भारत युवा संवाद' अभियान के अंतर्गत उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िले में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम युवाओं और प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सार्थक संवाद एवं विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बकुलतला के प्रधान श्री नारायण मंडल मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, खेल जगत से जुड़े व्यक्तित्व प्रोहित बरई तथा युवा आइकन देबोजीत हलदर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

युवा संवाद का प्रमुख आकर्षण विद्यार्थियों और युवा आइकन के बीच होने वाला संवादात्मक सत्र होगा, जिसमें युवाओं को अपने विचार साझा करने तथा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम में 'लोकतांत्रिक शपथ' भी दिलाई जाएगी, जिसके माध्यम से प्रतिभागी लोकतांत्रिक मूल्यों, जागरूक भागीदारी तथा ज़िम्मेदार नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँगे।

रंगत में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास में आवास हेतु आवेदन आमंत्रित

रंगत, 27 अक्टूबर।

बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ), समन्वित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजना, रंगत के कार्यालय, मध्य अण्डमान द्वारा मिथिला, रंगत में शीघ्र ही उद्घाटित होने वाले कामकाजी महिला छात्रावास में आवास प्राप्त करने की इच्छुक पात्र कामकाजी महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इस छात्रावास में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास की व्यवस्था की गई है। यहाँ 24 घंटे पानी एवं बिजली की उपलब्धता, सुरक्षित कमरे तथा भोजन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे महिलाओं को आरामदायक एवं अनुकूल आवासीय वातावरण मिल सके।

इच्छुक कामकाजी महिलाएँ आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा कर सकती हैं। आवेदन के साथ फोटो पहचान पत्र, संबंधित कार्यालय, फर्म या नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अथवा नियुक्ति आदेश, पते का प्रमाण पत्र, हाल ही में खिंचवाए गए दो पासपोर्ट आकार के फोटो दस्तावेज़ संलग्न करना आवश्यक है।

आवास का आवंटन कमरा उपलब्ध होने तथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्त पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को यथाशीघ्र आवेदन करने की सलाह दी गई है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा कमरों की उपलब्धता के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक कार्यालय समय के दौरान सीडीपीओ, आईसीडीएस परियोजना, रंगत के कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं। आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए विभाग की वेबसाइट **www.andssw1.and.nic.in/socialwelfare** पर भी जा सकती हैं।

मोटर वाहनों की नई पंजीकरण श्रृंखला 'एएन01–एक्स' के तहत 2 नवंबर से पसंदीदा नंबरों की बुकिंग शुरू होगी

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

आम जनता को सूचित किया गया है कि मोटर वाहनों की मौजूदा पंजीकरण श्रृंखला 'एएन01–यू' के सभी नंबर समाप्त होने के बाद अब नई अग्रिम पंजीकरण श्रृंखला 'एएन01–एक्स' के अंतर्गत पंजीकरण नंबरों की बुकिंग की सुविधा 2 नवंबर से उपलब्ध कराई जाएगी।

उक्त नई श्रृंखला के अंतर्गत अपनी पसंद का पंजीकरण नंबर आरक्षित कराने के इच्छुक वाहन मालिकों एवं अन्य आवेदकों को सूचित किया गया है कि यह सुविधा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध होगी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इच्छुक आवेदक 'एक्स' श्रृंखला के अंतर्गत पंजीकरण नंबर आरक्षित कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।

लापता युवती 24 घंटे के भीतर बरामद

श्री विजय पुरम, 27 अक्टूबर।

दक्षिण अण्डमान उप मंडल की पुलिस टीमों ने सराहनीय व्यावसायिक दक्षता, तत्परता और प्रभावी समन्वय का परिचय देते हुए लापता हुई 18 वर्षीय युवती को 24 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक तलाश कर बरामद कर लिया। 24 अक्टूबर, 2026 को कक्षा 12वीं की 18 वर्षीय छात्रा प्रोथरापुर चौक स्थित अपने आवास से लापता हो गई। उसके माता–पिता की शिकायत पर पुलिस थाना पहाड़गांव में प्राथमिकी दर्ज़ की गई तथा युवती की तलाश के लिए तत्काल एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस थाना चाथम और पुलिस थाना अबर्डीन की टीमों ने भी पहाड़गांव थाना पुलिस के साथ मिलकर तलाशी अभियान में भाग लिया। व्यापक तलाशी अभियान के तहत स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई तथा सोशल मीडिया समूहों के माध्यम से हुलिया संबंधी सूचनाएँ प्रसारित की गईं। इन प्रयासों के दौरान लापता युवती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने बस अड्डों, होटलों और लॉजों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान युवती को हैडो स्थित एक लॉज से एक व्यक्ति के साथ बरामद किया गया। जांच के दौरान उक्त व्यक्ति की पहचान टुसनाबाद निवासी अल्फ्रेड काचुवा के पुत्र मनोज कुमार (28 वर्ष) के रूप में हुई। मामले के संबंध में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वर्तमान में आरोपी पुलिस हिरासत रिमांड पर है। घटना की परिस्थितियों और घटनाक्रम का पता



लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। दक्षिण अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस अभियान का नेतृत्व पुलिस निरीक्षक साहिल शम्सुद्दीन, थाना प्रभारी, पुलिस थाना पहाड़गांव ने किया। अभियान की निगरानी श्री अभिजीत सिरोही, आईपीएस, उप मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), दक्षिण अण्डमान द्वारा की गई। यह मामला दक्षिण अण्डमान ज़िले के विभिन्न पुलिस थानों की टीमों के बीच प्रभावी समन्वय और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण है। ज़िला पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दक्षिण अण्डमान पुलिस आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने तथा सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी अपराध या अन्य अवैध गतिविधि से संबंधित जानकारी पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112, 03192–232100 अथवा 03192–236641 पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

टी–20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने अभिषेक शर्मा, विराट कोहली को छोड़ा पीछे

वेलिंगटन, 27 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने टी–20 क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वह टी–20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी पारी में नौ चौके और 11 छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 297.37 का रहा।

अभिषेक के नाम अब टी–20 क्रिकेट में 11 शतक हो गए हैं, जबकि विराट कोहली ने इस प्रारूप में 10 शतक लगाए हैं। दुनिया में टी–20 क्रिकेट में उनसे ज्यादा शतक केवल वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (22) और पाकिस्तान के बाबर आजम (13) के नाम हैं। इस तरह अभिषेक टी–20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

टी–20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अभिषेक के नाम अब चार शतक हो गए हैं। वह इस प्रारूप में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। इस सूची में उनके साथ सूर्यकुमार यादव और इंग्लैंड के फिल सॉल्ट भी चार–चार शतकों के साथ शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा पांच शतकों के साथ शीर्ष पर हैं।



अभिषेक ने अब तक 70 टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की 69 पारियों में 33.43 की औसत और 196.83 के स्ट्राइक रेट से 2,240 रन बनाए हैं। इसमें चार शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन है। इस साल भी अभिषेक का बल्ला जमकर बोल रहा है। उन्होंने 37 टी–20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 31.25 की औसत और 206.42 के स्ट्राइक रेट से 1,125 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो शतक और आठ अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 113 रन है। एक कैलेंडर वर्ष में टी–20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभिषेक को अब 40 रन की जरूरत है। सूर्यकुमार यादव ने 2022 में 1,164 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था।

संयुक्त घोषणा–पत्र को अंगीकृत करने के बाद नई दिल्ली में 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच संपन्न

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच, जिसका उद्घाटन कल लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया था, आज एक संयुक्त घोषणा–पत्र को अंगी.त करने के बाद संपन्न हो गया। इस घोषणा–पत्र में औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों, संप्रभु समानता, परस्पर सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति सदस्य देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत देश के बढ़ते राजनयिक प्रभाव को परिलक्षित करते हुए, संयुक्त घोषणा–पत्र नई दिल्ली की मुख्य रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप है। घोषणा–पत्र में सदस्य संसदों ने वैश्विक शासन में ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का स्पष्ट समर्थन किया–जिसका उल्लेख नई दिल्ली घोषणा के पैराग्राफ 13 में किया गया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भारत के कड़े रुख को आतंकवाद के सशक्त विरोध के रूप में बड़ी सफलता मिली; नई दिल्ली घोषणा के पैराग्राफ 40 के अनुसार इस घोषणा–पत्र में सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद के वित्तपोषण और सुरक्षित ठिकानों की निंदा की गई, जबकि जीरो टॉलरेंस और दोहरे मापदंडों को समाप्त करने की मांग की गई। घोषणा में भारत के नेतृत्व वाले विकासात्मक और जलवायु एजेंडे को भी .ढ़ता से शामिल किया गया, जिसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी का विस्तार, नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशासन, समान लेकिन पृथक उत्तरदायित्वों के सिद्धांत का पालन और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से समर्थन शामिल है।

समापन भाषण में, लोक सभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर



दिया कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान संघर्ष के बजाय केवल संवाद, शांति और सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है। ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देशों के पीठासीन अधिकारियों, प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय सांसदों को संबोधित करते हुए, श्री बिरला ने दो दिनों की गहन चर्चाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यद्यपि भाग लेने वाले देशों की पृष्ठभूमि, परिस्थितियां और चुनौतियाँ अलग–अलग हैं, फिर भी मानवता के कल्याण, शांति और समृद्धि के प्रति उनकी ब्रिक्स की साझा प्रतिबद्धता ही इस गठबंधन की शक्ति है।

12वां ब्रिक्स संसदीय मंच सफलतापूर्वक संपन्न होने के अवसर पर श्री बिरला ने वर्ष 2027 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता चीन को सौंपते हुए उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं, और विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में सहयोग निरंतर फलता–फूलता रहेगा। मंच का समापन दुनिया भर की संसदों से शांति, सहयोग और साझा समृद्धि के लिए बुलंद आवाज के रूप में कार्य करने के आह्वान के साथ हुआ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर सूचना जारी की

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कार्यस्थल और सार्वजनिक जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर एक विस्तृत सलाह जारी की है। यह सलाह 10 केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को भेजी गई है।

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों तथा विभागों से इन सुझावों को लागू करने का आग्रह करते हुए कार्यान्वयन की प्रगति पर दो महीने के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। एनएचआरसी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए देश में कड़े कानून मौजूद हैं, फिर भी कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

आयोग ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के अनुसार सितंबर 2026 में श्रम बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 34.6 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वर्ष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 4.4 लाख मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगातार चुनौतियां आ रही हैं, जिसके लिए संयुक्त और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा उनके संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समान अवसरों के लिए बेहद जरूरी शर्त है।

आयोग की ओर से जारी सलाह सूची में रेलवे बोर्ड के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल हैं।

एनएचआरसी की यह सलाह मुख्य रूप से आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें जागरूकता बढ़ाना, बुनियादी ढांचा, घटनाओं के दौरान आसपास मौजूद लोगों के हस्तक्षेप को बढ़ावा देना, पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाना, पीड़ितों को हर संभव सहायता एवं पुनर्वास उपलब्ध कराना, महिलाओं के खिलाफ होने वाले साइबर अपराधों पर रोक लगाना, दूरगामी एवं संस्थागत सुधार लागू करना और कई व्यावहारिक कदम उठाना है।

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है, ताकि प्रगति रिपोर्ट के आधार पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्त माहौल सुनिश्चित किया जा सके।

आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 के तहत 309 लोक शिकायतों का निपटारा किया

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। आयुष मंत्रालय ने विशेष अभियान 6.0 के तहत 2 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 2026 के बीच 309 लोक शिकायतों और 50 लोक शिकायत अपीलों का निपटारा करते हुए महत्वपूर्ण प्रगति की है। अभियान के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने 220 स्वच्छता अभियान भी चलाए हैं, जिसमें कार्यस्थल की सफाई में सुधार, कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यालय स्थान के मनोनुकूल उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अभियान अवधि के दौरान, मंत्रालय ने 1,525 फाइलों की समीक्षा करके उन्हें हटा दिया, स्क्रैप और अप्रचलित अभिलेखों के निपटान के माध्यम से लगभग 1,030 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कर दिया। मंत्रालय ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से 1,89,298 रुपये का राजस्व भी अर्जित किया, जो बेहतर संसाधन प्रबंधन और बेहतर प्रशासनिक दक्षता की दिशा में उसके प्रयासों को दर्शाता है।

ये गतिविधियां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2026 तक मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) 2026 अभियान में मंत्रालय की भागीदारी पर आधारित हैं। अभियान के दौरान, 32 स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (सीटीयू) की पहचान की गई, जिनमें से 20 को मंत्रालय के अधिकारियों, भाग लेने वाले संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियों के साथ–साथ बदल दिया गया।

एसएचएस अभियान में सार्वजनिक भागीदारी और स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण पर भी जोर दिया गया। रिपोर्ट की गई प्रगति के अनुसार, 131 स्वच्छता कर्मचारियों ने अभियान गतिविधियों में भाग लिया, जबकि 88 को उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई। स्वच्छता संबंधी प्रतियोगिताओं और पर्यावरणीय पहलों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। स्वच्छ भारत दिवस पर समापन गतिविधियों के हिस्से के रूप में, 31 पेड़ लगाए गए, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

आईआईटी खड़गपुर में बनेगा भारत का पहला फिजिकल एआई स्कूल

खड़गपुर, 27 अक्टूबर (हि.स.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर में भारत का पहला समर्पित फिजिकल एआई स्कूल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संस्थान ने अपने पूर्व छात्र विनोद गुप्ता और आईआईटीकेजीपी फाउंडेशन, अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विनोद गुप्ता के दिवंगत पुत्र बेंजामिन गुप्ता की स्मृति में इस स्कूल का नाम 'बेंजामिन गुप्ता स्कूल ऑफ फिजिकल एआई' रखा जाएगा।

इस परियोजना पर कुल 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें विनोद गुप्ता परिवार 12.5 करोड़ रुपये और नाम गोपनीय रखने के इच्छुक एक अन्य पूर्व छात्र 10 करोड़ रुपये देंगे। शेष राशि आईआईटी खड़गपुर उपलब्ध कराएगा। इस स्कूल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को भौतिकी के सिद्धांतों, इंजीनियरिंग और वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जोड़ना है। इसके तहत रोबोटिक्स, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग पर अनुसंधान किया जाएगा।

आवश्यक शैक्षणिक स्वीकृतियां मिलने के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र से हाइब्रिड माध्यम में मास्टर डिग्री, कार्यकारी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और चिकित्सा पेशेवरों को एआई के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।



आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो. सुमन चक्रवर्ती ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सूचना के प्रसंस्करण के तरीके को बदल दिया है। अब इसका अगला चरण भौतिक दुनिया को समझने और उससे जुड़ी तकनीकों के विकास से संबंधित होगा। आईआईटी खड़गपुर इस पहल के माध्यम से भारत में इस बदलाव का नेतृत्व करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एआई को केवल एक 'ब्लैक–बॉक्स' समाधान के रूप में देखने से आगे बढ़ना है। इंजीनियरों को बुद्धिमान मशीनों के पीछे काम करने वाले भौतिकी के सिद्धांतों को समझना चाहिए। वैज्ञानिकों को एआई के पूर्वानुमानों को मूल वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ना चाहिए और चिकित्सा पेशेवरों को एआई के साथ अपने जैविक एवं नैदानिक ज्ञान का समन्वय करना चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय वीजा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक नियमों का किया विस्तार

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत में वीजा आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक जानकारी देने की आवश्यकताओं का विस्तार किया है। इसके तहत आवेदकों से उंगलियों के निशान और चेहरे की तस्वीर मांगी जा सकती है। सरकार का उद्देश्य वीजा प्रणाली को सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद बनाए रखना है।

सोमवार से भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए वीजा के लिए आवेदन करने वाले लोगों को बायोमेट्रिक जानकारी देनी पड़ सकती है। यह नियम 26 अक्टूबर या उसके बाद जमा किए गए आवेदनों पर लागू होगा। पहले से जारी वीजा या इस तारीख से पहले जमा किए गए आवेदनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों का विभाग आवेदकों को सूचित करेगा कि उन्हें बायोमेट्रिक जानकारी देने की जरूरत है या नहीं। जरूरत होने पर उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। बयान के अनुसार, आवेदकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उन्हें भारत में वीएफएस ग्लोबल द्वारा संचालित 16 ऑस्ट्रेलियाई बायोमेट्रिक संग्रह केंद्रों में से किसी एक पर जाने के लिए कहा जा सकता है। कुछ आवेदक ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी करने के पात्र हो सकते हैं। आमतौर पर इसकी सूचना आवेदक या उनके अधिकृत एजेंट को ईमेल के जरिए दी जाएगी।

ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के मुताबिक, बायोमेट्रिक कार्यक्रम का विस्तार आवेदकों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लोगों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेगा। भारत से बड़ी संख्या में लोग ऑस्ट्रेलिया में घूमने, पढ़ाई करने, काम करने और अन्य संबंध विकसित करने के लिए जाते हैं। ऐसे में सरकार वीजा प्रक्रिया को सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखना चाहती है।

उच्चायोग ने कहा कि बायोमेट्रिक जानकारी जुटाने से वीजा प्रक्रिया में लगने वाले समय पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पहले से करीब 60 देशों में वीजा आवेदकों के बायोमेट्रिक्स एकत्र करता है। भारत को इस कार्यक्रम में शामिल करने से उसकी प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी। पात्र आवेदकों को ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप के जरिए डिजिटल विकल्प भी मिलेगा।

नींद के दौरान भी आ सकता है ब्रेन स्ट्रोक, सुबह उठने के बात इन संकेतों को न करें नजरअंदाज

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। आज के समय में बदले वातावरण और वैश्विक परिदृश्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लेकिन थोड़ी सावधानी बरत कर हम आने वाले कई बड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम कर सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को भी कई सावधानी से हम पहले ही रोक सकते हैं।

ये बात जनानी जरूर है कि ब्रेन स्ट्रोक केवल जागते समय ही नहीं, बल्कि नींद के दौरान भी आ सकता है। कई बार व्यक्ति रात में सामान्य स्थिति में सोता है, लेकिन सुबह उठने पर हाथ–पैर में कमजोरी, चेहरा टेढ़ा होने या बोलने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसे चिकित्सा भाषा में 'वेक–अप स्ट्रोक' कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे लक्षणों को सामान्य कमजोरी समझकर नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है।

नारायणा हॉस्पिटल जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोलॉजी डॉ. गौरव गोयल के अनुसार वेक–अप स्ट्रोक में मरीज को नींद से जागने के बाद लक्षण दिखाई देते हैं। चूंकि व्यक्ति सो रहा होता है, इसलिए स्ट्रोक शुरू होने का सही समय पता लगाना मुश्किल होता है। स्ट्रोक में मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली नस में रुकावट आ सकती है या रक्त वाहिका फटने से मस्तिष्क में रक्तस्राव हो सकता है।

डॉ. गौरव गोयल के अनुसार सुबह उठने पर चेहरे का एक हिस्सा झुकना, एक हाथ या पैर में अचानक कमजोरी या सुन्नपन, बोलने अथवा दूसरों की बात समझने में परेशानी, अचानक दिखाई देना कम होना और चलने में संतुलन बिगड़ना स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर घरेलू उपाय करने या आराम करने के बजाय तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए।

डॉ. गोयल के अनुसार स्ट्रोक के इलाज में समय महत्वपूर्ण होता है। वेक–अप स्ट्रोक में लक्षण शुरू होने का समय स्पष्ट नहीं होने के बावजूद कुछ मरीजों का आधुनिक एमआरआई और सीटी स्कैन जांच के आधार पर उपचार संभव है। मरीज की स्थिति और जांच रिपोर्ट के अनुसार रक्त का थक्का घोलने वाली दवा या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टॉमी से थक्का निकालने जैसे उपचार किए जा सकते हैं।

डॉ.गोयल के अनुसार स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। डॉक्टर को यह बताना जरूरी है कि मरीज आखिरी बार कब सामान्य स्थिति में था। मरीज को स्वयं एस्पिरिन या दूसरी दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रोक का प्रकार जांच के बाद ही स्पष्ट होता है। विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर अस्पताल पहुंचने से मस्तिष्क को होने वाले नुकसान और स्थायी विकलांगता के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। (HS)

इतिहास के पन्नों में 28 अक्टूबर : कंप्यूटर क्रांति के अगुआ 'बिल गेट्स', जिसने तकनीक से बदली दुनिया

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)। दुनिया की तकनीकी क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले बिल गेट्स का नाम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग के इतिहास में प्रमुखता से दर्ज है। 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के सिएटल में जन्मे विलियम हेनरी गेट्स तृतीय ने अपनी दूरदृष्टि और उद्यमशीलता से व्यक्तिगत कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माइक्रोसॉफ्ट के सह–संस्थापक के रूप में उन्होंने तकनीक की दुनिया में ऐसी पहचान बनाई, जिसने काम करने, संवाद करने और जानकारी हासिल करने के तरीकों को बदलने में भूमिका निभाई।

गेट्स की तकनीकी यात्रा वर्ष 1975 में शुरू हुए उस उद्यम से जुड़ी है, जिसे उन्होंने अपने मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर खड़ा किया। दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की और कंप्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आगे चलकर कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज दुनिया भर में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने व्यक्तिगत कंप्यूटरों के प्रसार और सॉफ्टवेयर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया।

गेट्स की कारोबारी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 1987 में, 32 वर्ष की उम्र में, उनका नाम फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल हो गया। बाद के वर्षों में वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाते रहे और कई बार इस सूची में शीर्ष स्थान पर भी रहे। बिल गेट्स ने तकनीक और भविष्य की अर्थव्यवस्था पर अपने विचार पुस्तकों के माध्यम से भी साझा किए।



उनकी चर्चित पुस्तकों में 'द रोड अहेड' और 'बिजनेस / द स्पीड ऑफ थॉट' शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने डिजिटल तकनीक के बढ़ते प्रभाव और कारोबार में कंप्यूटर आधारित प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा की।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1492– क्रिस्टोफर कोलम्बस ने क्यूबा के पूर्वी तट की खोज की, जिसके बाद स्पेन की सेनाएं इस क्षेत्र में पहुंची थीं।

1851–बंगाल मे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई।

1863– जिनेवा में कॉन्फ्रेंस के तहत इंटरनेशनल रेडक्रॉस कमेटी का गठन हुआ।

1886– अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांस से उपहार में मिली 'स्टैच्यु ऑफ लिबर्टी' का औपचारिक अनावरण किया।

1891– जापान में भूकंप से 7300 लोगों की मौत।

1914 – पोलियो का पहला सेफ वैक्सीन बनाने वाले अमेरिकी फिजीशियन और मेडिकल रिसर्चर जोनास साल्क का जन्म।

2004–बीजिंग में 4000 वर्ष पुराने मकबरों का पता लगा।

भारत खेलों में डोपिंग–मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिबद्ध है: केन्द्रीय खेल मंत्री

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज कहा कि भारत खेलों में डोपिंग–मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ ईमानदारी भी जरूरी है। डॉ. मांडविया नई दिल्ली में यूनेस्को के खेलों में डोपिंग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित कॉप–10 ब्यूरो की तीसरी औपचारिक बैठक और वर्ष 2026–27 के लिए कोष की अनुमोदन समिति की चौथी औपचारिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलना चाहिए।



श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार डोपिंग–मुक्त खेलों और डोपिंग के खिलाफ कतई बर्दाशत न करने पर जोर देते रहे हैं। डॉ. मांडविया ने बताया कि भारत ने राष्ट्रीय डोपिंग–रोधी अधिनियम, 2022 और वर्ष 2025 में किए गए इसके संशोधन के जरिए डोपिंग–रोधी व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इस कानून में और संशोधन किए जाएंगे, जिससे कोच और इससे जुड़े लोगों सहित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रावधान लागू किए जा सकें। उन्होंने डोपिंग रोकने और खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जागरूक करने के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।

डॉ. मांडविया ने बताया कि वर्ष 2025–26 में राष्ट्रीय डोपिंग–रोधी एजेंसी ने सात हजार से अधिक परीक्षण किए और तीन सौ 50 से ज्यादा जागरूकता सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में 27 हजार लोगों ने भाग लिया। इस दौरान जोखिम के आधार पर परीक्षण और खुफिया जानकारी के आधार पर जांच पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि 'नो योर मेडिसिन' यानी 'अपनी दवा को जानें' ऐप पर पांच लाख से अधिक बार जानकारी खोजी गई है। इससे लोगों को दवाओं के बारे में सोच–समझकर निर्णय लेने में मदद मिल रही है। बैठक के उद्घाटन सत्र में अज़रबैजान के युवा और खेल मंत्री तथा कॉप–10 ब्यूरो के अध्यक्ष फरीद गैबोव और खेलों में डोपिंग उन्मूलन कोष की अनुमोदन समिति के अध्यक्ष ल्यूक मैक्कैन भी उपस्थित थे।

राजगीर में भारत–न्यूजीलैंड रग्बी सीरीज संपन्न

राजगीर, 27 अक्टूबर (हि.स.)।

बिहार के राजगीर स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक अंडर–20 रग्बी सीरीज मंगलवार को संपन्न हो गई। दोनों देशों के खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस सीरीज ने खेल कूटनीति, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और युवा खिलाड़ियों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव को बढ़ावा देने में खेल की भूमिका को रेखांकित किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत खेलों के माध्यम से वैश्विक सहयोग मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। खेल देशों के बीच आपसी समझ, मित्रता और सांस्कृतिक संवाद बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। भारत–न्यूजीलैंड अंडर–20 रग्बी सीरीज दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे खेल संबंधों को नई मजबूती देने का उदाहरण है। सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड की अंडर–20 पुरुष एवं महिला टीमों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के तहत संयुक्त प्रशिक्षण सत्र, सांस्कृतिक गतिविधियां और रग्बी सेवन्स के चार मुकाबले आयोजित किए गए।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको), श्री विजय पुरम

रिक्ति सूचना/शुद्धिपत्र

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (अनिडको) में **जनसंपर्क अधिकारी** के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त पद के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 अक्टूबर, 2026 तक कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार की तिथि को पूर्व निर्धारित तिथि 28 अक्टूबर, 2026 के स्थान पर पुनर्निर्धारित कर 04 नवंबर, 2026 कर दिया गया है।

महाप्रबंधक (कार्मिक), अनिडको

विकसित भारत बिल्डथॉन को मिला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज विजेताओं को सम्मानित करेंगे शिक्षा मंत्री

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)।

देश में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को वैश्विक पहचान मिली है। विकसित भारत बिल्डथॉन–2025 ने 'सबसे बड़ी नवाचार समाधान प्रतियोगिता' के रूप में आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रतियोगिता में देशभर से कुल 2,87,967 परियोजनाएं प्रस्तुत की गईं। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय बुधवार, 28 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेगा।

समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहे विद्यार्थियों और नवाचारकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान 10 राष्ट्रीय स्तर की विजेता टीमों और नवाचारकर्ताओं के अभिनव समाधान एवं मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा।

विकसित भारत बिल्डथॉन का उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में वैज्ञानिक जिज्ञासा, रचनात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक समस्याओं के समाधान खोजने और अपने विचारों को उपयोगी परियोजनाओं में बदलने के लिए प्रेरित किया गया।

प्रतियोगिता में आइडिया और प्रोटोटाइप, दोनों ट्रैक के अंतर्गत देशभर से 2,87,967 परियोजनाएं प्राप्त हुईं। इतनी बड़ी संख्या में परियोजनाओं की भागीदारी ने स्कूली स्तर पर नवाचार के प्रति विद्यार्थियों के उत्साह को प्रदर्शित किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज उपलब्धि से भारतीय विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

इस पहल का व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षा में सीखने वाले छात्रों से आगे बढ़ाकर समस्या समाधानकर्ता, भावी उद्यमी और नवाचारकर्ता के रूप में विकसित करना है। इसके साथ ही उनमें ऐसे विचारों को विकसित करने की क्षमता पैदा करना है, जो भविष्य में उपयोगी तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का रूप ले सकें।

विकसित भारत बिल्डथॉन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से किया। यह पहल देश में स्कूली स्तर पर नवाचार एवं उद्यमशीलता के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज उपलब्धि और 10 राष्ट्रीय विजेता टीमों का सम्मान समारोह इस पहल को नई पहचान देगा। इसके साथ ही यह आयोजन देश में स्कूली शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा।

बिना जानकारी के योग पड़ सकता है भारी, अभ्यास करते समय बरतें ये सावधानी

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)।

योग शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है, लेकिन गलत तरीके से किया गया योग शरीर को लाभ पहुंचाने की जगह नुकसान भी कर सकता है। अक्सर लोग बिना किसी ट्रेनर या सही जानकारी के योगाभ्यास शुरू कर देते हैं, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव, जोड़ों में दर्द और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए योग शुरू करने से पहले उसके सही नियम, तरीका और सावधानियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है।

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगासन को लेकर सावधानियां बरतने की हिदायत दी। उनके अनुसार, योग आमतौर पर सुरक्षित होता है, जब इसे सही तरीके से सीखा और जरूरी सावधानियों के साथ किया जाए। जबरदस्ती कोई आसन करना, अपनी क्षमता से ज्यादा देर तक सांस रोकना या सफाई की क्रियाओं को गलत तरीके से करना नुकसान पहुंचा सकता है।

इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपनी शारीरिक सीमाओं को समझें, अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में अपने योग थेरपिस्ट को बताएं और किसी योग्य योग एक्सपर्ट या सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही सही तकनीक सीखें। हमेशा जागरूकता के साथ अभ्यास करें और बताए गए नियमों का पालन करें।

सही तकनीक और सावधानियां क्यों जरूरी है – हर व्यक्ति के शरीर की बनावट और लचीलापन अलग–अलग होता है। इसलिए दूसरों को देखकर या रील्स और किताबों की नकल करके योगासन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिना सही जानकारी के शरीर पर जबरदस्ती दबाव डालने, झटका देने या जल्दबाजी में आसन करने से मांसपेशियों में खिंचाव, मोच या गंभीर चोट लग सकती है। वहीं, अभ्यास के दौरान शरीर के किसी हिस्से में अचानक



तेज दर्द या टीस उठे, तो तुरंत अभ्यास रोक देना चाहिए।

पद्मासन (कमल मुद्रा) जैसे साधारण दिखने वाले आसन तक में अभ्यास को लेकर सावधानी बरतनी पड़ती है। यदि आप इस आसन को आसान समझते हैं तो यह जरूरी है कि पैरों को जांघों पर रखने के लिए कभी भी जबरदस्ती या अत्यधिक जोर न लगाएं, इससे घुटनों या टखनों में मोच आ सकती है। अगर किसी भी अभ्यासकर्ता के घुटनों, कूल्हों या टखनों में पुरानी चोट या गंभीर दर्द है, तो यह आसन न करें। पैरों को जबरदस्ती मोड़ने से लिगामेंट में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है।

शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे एडवांस्ड स्तर के योगासनों में तो यह सावधानी बहुत अधिक बढ़ जाती है। बिना सही तकनीक के करने से सर्वाइकल स्पाइन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जब इन आसनों में पूरे शरीर का भार गर्दन पर आ जाता है, तो अत्यधिक दबाव के कारण डिस्क हर्निएशन (सर्कना), नसों का दबना, लिगामेंट्स का टूटना और यहां तक कि गर्दन का फ्रैक्चर भी हो सकता है। मासिक धर्म, गर्भावस्था, चक्कर आना, तीव्र सिरदर्द, या हाल ही में हुई किसी सर्जरी के बाद भी ऐसे अभ्यास न करें।

एक नवंबर से लागू होगा जीएसटी सुधारों का पहला चरण, छोटे निर्यातकों और उद्योगों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर।

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में किए गए सुधारों के पहले चरण को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 26 अक्टूबर को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, बिक्री के बाद दिए जाने वाले डिस्काउंट, रिफंड प्रक्रिया को तेज करने और निर्यातकों को राहत देने से जुड़े नए प्रावधान 1 नवंबर 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। इन बदलावों के तहत वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के लिए डिस्काउंट प्रबंधन को आसान बनाया गया है। नए नियमों और क्रेडिट नोट प्रावधानों के लागू होने से कारोबारियों को कर अनुपालन में अधिक स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।

सरकार ने उन उद्योगों को भी बड़ी राहत दी है जो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सामना कर रहे हैं, यानी जहां कच्चे माल पर लगने वाला जीएसटी अंतिम उत्पाद पर लगने वाले जीएसटी से अधिक होता है। ऐसे व्यवसाय अब जोखिम मूल्यांकन की शर्तों के अधीन अपने पात्र रिफंड का 90 प्रतिशत तक अग्रिम (प्रोविजनल) रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। इससे उनकी कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

छोटे निर्यातकों के लिए भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने टैक्स भुगतान वाले निर्यात रिफंड के लिए पहले लागू 1,000 रुपए की न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी है। इससे डाक और कूरियर के माध्यम से छोटे स्तर पर निर्यात करने वाले निर्यातकों को भी बिना किसी न्यूनतम सीमा के रिफंड का लाभ मिल सकेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव इंटरमीडियरी सेवाओं से संबंधित है। नए नियमों के तहत ऐसी सेवाओं के लिए "प्लेस ऑफ सप्लाई" अब सेवा प्रदाता या मध्यस्थ के स्थान के बजाय सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्थान को माना जाएगा। इससे भारतीय सेवा निर्यातकों को कर संबंधी स्पष्टता मिलेगी और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि व्यापक संरचनात्मक और कानूनी बदलावों का अगला चरण 1 अप्रैल 2027 से लागू किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी।



ये फैसले 8 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं जीएसटी परिषद बैठक में लिए गए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य करदाताओं पर अनुपालन बोझ कम करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के प्रवाह को सुचारु बनाना और रिफंड प्रक्रिया को तेज करना था। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन आवश्यक तकनीकी और सिस्टम अपग्रेडेशन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। 1 नवंबर के बाद जहां भी तकनीकी रूप से संभव होगा, वहां रिफंड की स्वीकृति प्रक्रिया को स्वचालित (ऑटोमेटेड) किया जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल नए रिफंड आवेदनों पर लागू होगी और पहले से लंबित मामलों पर नहीं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीएसटी कानूनों में संशोधन से जुड़े बड़े बदलाव, जैसे गिरफ्तारी प्रावधानों में संशोधन, अभियोजन सीमा का युक्तिकरण, ई–वे बिल नियमों में बदलाव और कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा तय करना, 1 अप्रैल 2027 से लागू होंगे। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए प्रावधानों का प्रभाव पहले से हुई गिरफ्तारियों पर नहीं पड़ेगा। परिषद ने कुछ गिरफ्तारी संबंधी प्रावधानों को कानून से हटाने का निर्णय लिया है, लेकिन यह बदलाव केवल निर्धारित तिथि से आगे के मामलों पर लागू होगा। सरकार फिलहाल अंतरिम दिशा–निर्देशों पर भी विचार कर रही है, हालांकि इस संबंध में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

भारत की आनुवंशिक विविधता बनेगी जीन अनुसंधान की ताकत : केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर (हि.स.)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि भारत की समृद्ध आनुवंशिक विविधता देश को जीन अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। आने वाले वर्षों में दूसरे देश भी भारत के विशिष्ट आनुवंशिक संसाधनों की ओर रुख कर सकते हैं।

भारत मंडपम में आयोजित उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी)–2026 में सिस्टम और सिंथेटिक बायोलॉजी पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आनुवंशिक और शारीरिक विशेषताओं में विविधता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध कराती है। इससे बीमारियों के अलग–अलग स्वरूपों को समझने और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए समाधान तलाशने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने कहा कि भारत को जैव प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमताएं विकसित करने की जरूरत है। देश की वैज्ञानिक प्रतिभा और अनुसंधान की ताकत को व्यावहारिक उपयोग में बदलने से न केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि भारत का जैव प्रौद्योगिकी तंत्र भी मजबूत होगा। केंद्रीय मंत्री ने जीन संश्लेषण के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अनुसंधान के लिए विशेष तकनीकों और संसाधनों के मामले में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता



होने से भारतीय वैज्ञानिकों को समय पर सामग्री उपलब्ध होने और अनुसंधान को लगातार जारी रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि देश में ही जीन संश्लेषण की क्षमता विकसित होने से वैज्ञानिक अधिक प्रभावी ढंग से अनुसंधान कर सकेंगे। इससे भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने और नए वैज्ञानिक प्रयोगों को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। डॉ. सिंह ने कहा कि भारत में वैज्ञानिक प्रतिभा की कमी नहीं है और सरकार ने अनुसंधान एवं नवाचार को प्राथमिकता दी है। जरूरत इस बात की है कि वैज्ञानिकों को अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन, वित्तीय सहायता और उद्योग जगत का सहयोग मिले। इससे नई खोजों को उपयोगी तकनीकों और उत्पादों में बदलने का रास्ता आसान होगा।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्सों से कहा, भ्रामक जानकारी दी तो होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर।

ऑनलाइन कारोबार में कई प्लेटफॉर्म खुद तो सामान नहीं बेचते, लेकिन उत्पादों का विज्ञापन करते हैं। वे उनकी खूबियां बढ़ा–चढ़ाकर बताते हैं और ग्राहकों को विक्रेताओं से जोड़ते हैं। उत्पाद में गड़बड़ी होने की सूरत में ऐसे प्लेटफॉर्म अक्सर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं, मगर उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत अब उनकी भूमिका एवं जवाबदेही भी तय होगी। उत्पाद के बारे में दी गई जानकारी यदि ग्राहकों को गुमराह करने वाली है तो प्लेटफार्म सिर्फ यह कहकर नहीं बच सकते कि भुगतान उनकी वेबसाइट पर नहीं हुआ।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन कारोबारी प्लेटफॉर्मों को निर्देश दिया है कि वे उत्पादों की सही जानकारी, जरूरी प्रमाणपत्रों और इस्तेमाल की शर्तों के बारे में स्पष्ट बताएं। नहीं तो नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हो सकती है। इसी सिलसिले में सीसीपीए ने वाकी–टाकी का प्रचार करने वाली कंपनी होगार टेक्नोलाजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर ग्राहकों को गुमराह करने के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर वाकी–टाकी का विज्ञापन तो करती थी, लेकिन वहां सीधे भुगतान या ऑनलाइन खरीद की सुविधा नहीं थी।

सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई। इसमें पाया गया कि वेबसाइट पर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। वाकी–टाकी में यह बताना जरूरी था कि उपकरण किस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और उसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस या अन्य मंजूरी की जरूरत है या नहीं। निर्धारित 446.0 से 446.2 मेगाहट्र्ज बैंड में काम करने वाले पात्र उपकरणों को लाइसेंस से छूट मिल सकती है, लेकिन प्रमाणन संबंधी शर्तों का पालन करना फिर भी जरूरी है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर इलेक्ट्रानिक्स, घरेलू उपकरणों, खिलौनों और रोजमर्रा के इस्तेमाल की हजारों वस्तुएं उपलब्ध हैं। ग्राहकों के लिए खरीदारी से पहले हर उत्पाद



की तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और कानूनी शर्तों की अलग–अलग जांच करना आसान नहीं है। वे वेबसाइट पर दी गई जानकारी पर भरोसा करते हैं। ऐसे में कीमत, क्षमता, इस्तेमाल की शर्तों और अन्य जरूरी पहलुओं की सही–सही जानकारी देना महत्वपूर्ण है। किसी अहम शर्त को छिपाने से ग्राहक गलत निर्णय ले सकता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर उत्पाद के लिए वेबसाइट स्वतः जिम्मेदार होगी। लेकिन ग्राहकों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों और उत्पादों के बारे में दी गई जानकारी में प्लेटफॉर्मों की भूमिका के अनुरूप जवाबदेही तय हो सकती है। ग्राहकों को भी खरीदारी से पहले उत्पाद की पूरी जानकारी, विक्रेता का विवरण, वापसी और वारंटी की शर्तें तथा जरूरी प्रमाणपत्र जरूर जांचने चाहिए।

भारत–कनाडा बैठक सम्पन्न

भारत और कनाडा के बीच कल नई दिल्ली में प्रवासन और आवागमन संवाद की पहली बैठक हुई। बैठक की सह–अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में कांसुलर, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन तथा कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता विभाग के उपमंत्री टेड गैलिवन ने की। बैठक के दौरान दोनों देशों ने संवाद के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, इस साझा विश्वास को दोहराया कि दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध भारत और कनाडा के बीच सबसे मजबूत सेतु हैं।